



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012021-224120
CG-DL-E-02012021-224120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4257]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942

No. 4257]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4847(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-133E (पुराना राज्य राजमार्ग संख्या-19) भागलपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-33 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर ढाका मोड़ को जोड़ते हुए और बलझोर (हंसडिहा रोड) के निकट बिहार/ झारखण्ड के सीमा पर समाप्त होने वाले बलझोर तक के निर्माण (बाईपासों के सनिर्माण, पुनसंरेखण, यदि कोई है, सहित चौड़ा करने दो/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि भू-खंड के सम्बन्ध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य में नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-133E (पुराना राज्य राजमार्ग संख्या-19) भागलपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-33 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर ढाका मोड़ को जोड़ते हुए और बलझोर (हंसडिहा रोड) के निकट बिहार/ झारखण्ड के सीमा पर समाप्त होने वाले बलझोर तक के निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , भागलपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH133E के कि.मी. 0 से 11.735 तक	बिहार	भागलपुर	जगदीशपुर	1	खिरीबांद
						2	बसौनी
						3	बैजानी
						4	जमुनी
						5	पिसता/251
						6	फुलवरिया
						7	पिसता/204
						8	भवानीपुर देसरी
						9	अम्बई
						10	जगदीशपुर
						11	फतेहपुर
						12	पुरैनी

[फा. सं. RW/PAT/NH/133E/KM 0.00-11.735/LA/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2020

S.O. 4847(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction (widening two /four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the Section Newly Declared National Highway No. 133E (Old State Highway No. 19) the highway Starting from its junction NH-33 near Bhagalpur connecting Dhaka Mor and terminating at Bihar/Jharkhand border near Baljhor (Hansdiha road) in the State of Bihar.

SCHEDULE

Land acquisition on Newly Declared National Highway No. 133E (Old State Highway No. 19) the highway Starting from its junction NH-33 near Bhagalpur connecting Dhaka Mor and terminating at Bihar/Jharkhand border near Baljhor (Hansdiha road) in the State of Bihar.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	District Land Aquisition Officer, Bhagalpur	0KM To 11.735KM	BIHAR	BHAGALPUR	Jagdishpur	1	Khiribaand
						2	Basauni
						3	Baijani
						4	Jamuni
						5	Pista/251
						6	Phulwariya
						7	Pista/204
						8	Bhawanipur Desri
						9	Ambei
						10	Jagdishpur
						11	Fatehpur
						12	Pureni

[F. No. RW/PAT/NH/133E/KM 0.00-11.735/LA/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director